प्रेषक

सैयद वाइज मियाँ जिला न्यायाधीश अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

पत्रांकः 1148 / 2020 / प्रशा. / अमरोहा, दिनांकितः 16.09.2020

विषयः दिनांक 16.09.2020 को जिला न्यायालय अमरोहा में एक कर्मचारी की कोविड—19 की जांच धनात्मक आने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2020 को जिला न्यायालय अमरोहा में एक कर्मचारी की कोविड—19 की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या— मुचिअ/कोविड—19/2020—21/15876 दिनांकित 16.09.2020 में यह अंकित किया गया है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंक्रमित किया जाये। उक्त कारणों से जिला न्यायालय अमरोहा के मुख्यालय को दिनांक 17.09.2020 के लिए सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

> भवदीय mm-an. 16/1×/200

(सैयद वाइज मियॉ) जिला न्यायाधीश, अमरोहा। 16.09.2020

संलग्नक- यथोक्त।

Duplicate slip 6395.8900 जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा पंजीकरण संख्या 97038 वाह्य रोगी टिकट दिनांक...)........... ६ Siena sig 20 fin 1 रोगी का नाम wro-Sukhver 411 1210 - Dadupur PIS- Ruguspur राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिनांक DUPLICATE COPY. ANC Lob - 2197 covide fored July-Tr पर्चा शुल्क 1/ FTO मान्य 15 दिन तक

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,

जनपद न्यायालय अमरोहा।

द्वारा,

श्रीमान नोड़ल अधिकारी कम्प्यूटर

अपर जिला न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय द्वितीय जनपद न्यायालय अमरोहा।

विषय कम्प्यूटर सर्वर रूम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती सीमा कोविड़—19 पोजेटिव होने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि कम्प्यूटर सर्वर रूम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती सीमा द्वारा आज दिनांक 16.09.2020 को अपराहान 2:15 बजे दूरभाष संख्या 6395089890 से सूचना दी कि उसकी कोविड—19 जॉच रिपोर्ट पोजेटिव आयी है।

माननीय महोदय को यह भी अवगत कराना है कि श्रीमती सीमा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रातः कम्प्यूटर सर्वर रूम में उपस्थित थी, तबियत खराब होने की सूचना नजारत अनुभाग में देकर वह इलाज के लिये जिला सरकारी अस्पाताल में गयी थी जहाँ उसकी कोविड़—19 जॉच की गयी, जिसमें उसने बताया कि उसकी रिपोर्ट पोजेटिव आयी है।

सूचना माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक 16.09.2020

डी०एस०ए० कम्प्यूटर सर्वर रूम जनपद न्यायालय अमरोहा।

31. Brisandel on the common of the state of the common of

प्रेषक.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।

सेवा में.

मा० जिला न्यायाधीश अमरोहा।

पत्रांक : मुचिअ / कोविड-19 / 2020-21 / 150 र्टि दिनांक 16.09.2020 विषय : जिला न्यायालय परिसर अमरोहा में चुतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती सीमा (आयु 28 वर्ष) पत्नी श्री सुखवीर सिंह, हाल निवासी मौं0 खेड़ा जोया, जनपद अमरोहा के दिनांक 16.

09.2020 कोविड-19 के एन्टीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सादर अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या 902/पांच—5—2020 दिनांक 31.05.2020 के प्रस्तर—ग के बिन्दु संख्या—3 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार "यदि कार्यस्थल पर किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते है तथा जांच में रिपोर्ट पॉजेटिव आती है, तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र / भूभाग पूरी तरह से 24 घण्टे के लिये बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रित किया जायेगा। इसके साथ जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर की दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हो, उन्हें 14 या 10 दिन के लिये क्वारेन्टाईन किया जायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

ISTRIC OHA ISTRIC OHA मुस्कि कोविड-19/2020-21/

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।

तद्दिनांक प्रतिलिपि : अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि अपने परिक्षेत्र में स्थित न्यायालय परिसर को दो बार विसंकमित कराना का कष्ट करें।

> मुख्य चिकित्सां अधिकारी अमरोहा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।

सेवा में,

मा० जिला न्यायाधीश अमरोहा।

पत्रांक : मुचिअ/कोविड-19/2020-21/5026 दिनांक 16.09.2020 विषय : जिला न्यायालय परिसर अमरोहा में चुतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती सीमा (आयु 28 वर्ष) पत्नी श्री सुखवीर सिंह, हाल निवासी मौ0 खेड़ा जोया, जनपद अमरोहा के दिनांक 16.

09.2020 कोविड-19 के एन्टीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयक आपके सादर अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 902 / पांच-5-2020 दिनांक 31.05.2020 के प्रस्तर-ग के बिन्दु संख्या-3 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार "यदि कार्यस्थल पर किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते है तथा जांच में रिपोर्ट पॉजेटिव आती है, तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र / भूभाग पूरी तरह से 24 घण्टे के लिये बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर की दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हो, उन्हें 14 या 10 दिन के लिये क्वारेन्टाईन किया जायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।

पृ०सं० : मुचिअ/कोविड-19/2020-21/

तददिनांक

प्रतिलिपि : अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि अपने परिक्षेत्र में स्थित न्यायालय परिसर को दो बार विसंक्रमित कराना का कष्ट करें।

> मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।

Administrative Office, District Judge, Amorha.

Order No. 123

Dated:- 16-09-2020

ORDER

D.S.A., Computer Server Room, District Court Amroha has informed today through letter addressed to undersigned that a fourth Class employee named Smt. Seema has been tested positive from Covid-19.

In this regard a report was called from Chief Medical Officer. The Chief Medical Officer Amroha vide his letter no. C.M.O./Covid-19/2020-21/ 15876 dated 16-09-2020 has reported that Smt. Seema W/o Shri Sukhver Singh has been tested Covid-19 positive on 16-09-2020.

Hon'ble High Court vide letter no. 1117/LXXX VII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 03.06.2020 regarding mechanism and modalities for opening of Civil Courts Subordinate to Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Para 15 has provided as follows:-

"Where the District Administration/ Chief Medical Officer concerned is of the opinion that the District / Outlying Court Campus should be closed for a particular period and or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Courts should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Courts may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court."

Hence in compliance of the mandate contained in Para 15 of above mentioned letter of Hon'ble High Court dated 03.06.2020, It is declared that for complete sanitization of the Court Campus, District Court at headquarter, Amroha shall remain closed for 24 Hours on 17-09-2020 and in the meanwhile complete sanitization of Court Campus be done under supervision of Sri Vidya Bhushan Pandey, Addl. District & Sessions Judge/FTC-II/ Officer-in-charge Nazarat, Amroha on 17-09-2020. It is also impressed upon Ld. Advocates and all stake-holders visiting District Court Campus to observe guidelines issued by Hon'ble High Court and State Government regarding social distancing and to wear face masks compulsorily to avoid receiving/spreading of any such infection.

In compliance of the directions issued by Hon'ble High Court vide letter no. 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad / Dated 28 July 2020, the Advocates/General Public are hereby informed that they can file bail/anticipatory applications or other urgent applications on the dedicated e-mail I.D. dcjyo2@gmail.com of the District Court Amroha. Such applications to be filed by the learned Advocates through e-mail I.D. shall contain complete details of Advocates/litigants including mobile number,

contd.

email I.D. etc. Arrangement are being made for hearing of such matters in the Court of Sessions Judge Court dealing with Special Jurisdiction, Chief Judicial Magistrate, Civil Judge (Sr.Div.) and Civil Judge (Jr.Div.) through video conferencing from residential office of Presiding Officers. System Officer / D.S.A. shall provide necessary technical assistance in the matter.

A general date 30-09-2020 is fixed for cases listed on 17-09-2020 for all Courts. Bail applications and others urgent applications listed before Magistrates Courts for hearing on 17-09-2020 shall be taken on 18-09-2020 and Bail Applications and other urgent applications listed for hearing in Sessions Court / Addl. Sessions Courts and Special Courts shall be taken for hearing on 18-09-2020. Ld. C.J.M. Amroha is directed to make necessary arrangements for remand and disposal of urgent matters on the basis of holiday practice for 17.09.2020.

The Outlying Court of Hasanpur and Gram Nyayalaya, Dhanaura shall remain open on 17.09.2020.

Information be sent to Hon'ble High Court, Allahabad and this order also be uploaded on the official website of District Court Amroha.

A Press note be issued by C.A.O. to District Information Officer, Amroha for information to general public regarding closure of District Court on 17-09-2020 through publication in daily newspapers for wide circulation in the District.

Inform all concerned.

drun- av. 1419/2020.

District & Sessions Judge

OISTRICT JUDGE
AHROHA

Copy forwarded to:-

- Registrar General, Hon'ble High Court Allahabad.
- 2- District Magistrate, Amroha
- 3- Superintendent of Police, Amroha
- 4- Chief Medical Officer, Amroha
- 5- Superintendent, District Jail Moradabad
- 6- E.O., Nagar Palika Amroha.
- 7- D.G.C, Criminal & Civil, District Court Amroha.
- 8- S.P.O., Amroha.
- 9- President / Secretary of Both Bar Association Amroha.
- 10- D.S.A., Computer Server Room, District Court Amroha.
- 11- District Information Officer, Amroha